<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 38 / 2020

1 मूलसिंह पुत्र उगमसिंह।
2 लादूसिंह पुत्र उगमसिंह।
3 रेवन्त सिंह पुत्र उगमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बोची तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मेघसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोची तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 सोहन कंवर मृतक।
2/1 प्रहलाद सिंह पुत्र खगसिंह।
2/2 ओमसिंह पुत्र खगसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खेरोट गोलसर तहसील जायल नागौर।
2/3 फूली कंवर पुत्री खगसिंह पत्नी जगुलसिंह।
2/4 मोहनकंवर पुत्री खगसिंह पत्नी मानसिंह 2/3,2/4 जाति राजपूत निवासीगण खेरोट गोलसर तहसील जायल जिला नागौर हाल आबाद राईखोरिया तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
2/5 हेलू कंवर पुत्री खगसिंह।
2/6 संतोष कंवर पुत्री खगसिंह पत्नी रूपसिंह 2/5,2/6 जाति राजपूत निवासीगण खेरोट गोलासर तहसील जायल जिला नागौर हाल आबाद हाथूण्डी तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

3 धापू कंवर पुत्री उगम सिंह पत्नी फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोची तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल आबाद हिगुनियां गोलसर तहसील जायल जिला नागौर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज0 पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 45/2015 उनवानी मेघसिंह बनाम मूलसिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आर.टी.एक्ट सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया सहिंता बाबत रिसीवरी दिनांकित 20.02.2020

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रिड़मल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 05.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 45/2015 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2020 विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की पैतृक कृषि भूमि है। जिसका खाता सम्मिलित रूप से बना हुआ है तथा पक्षकारान के मध्य आज तक कानूनी रूप

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर
सत्यमेव जयते

से विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 उक्त कृषि भूमियों का बिना कानूनी रूप से विभाजन करवाये बिना विशेष हिस्से की भूमि पर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने व जबरन ताकत के बल से हड़पने को आमादा है। उक्त कृषि भूमियों को डेमेज, वेस्टेज करने को आमादा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी जा रही है व खड्डे इत्यादि खोदने रहे वृद्व जड़ सहित काटने व पुख्ता निर्माण कार्य करने व कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन करने की धमकी दिनांक 03.09.2019 से दे रहे है। जिसमें यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 सफल हो गये तो प्रार्थी को असीम हानि होगी और वादग्रस्त भूमि नष्ट एवं बर्बाद हो जायेगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से सम्भव नहीं हो पायेगी। इसलिए न्यायहित में तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम बोची में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 151,214, 228,229,262,314 पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन आदेश से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश से रिसीवर नियुक्त करने से पूर्व प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश का आधार शांति भंग को माना है। जबकि कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति में धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही होती है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसा आदेश नही दिया जा सकता है। रिसीवर नियुक्त करने से अपीलांट का एक मात्र आय का साधन कृषि समाप्त होने से अपीलांट के परिवार के समक्ष भोजन की भी समस्या आ गयी है। रिसीवर के कठोर आदेश प्रस्तुत प्रकरण में रिसीवरी का आधार नही बनता है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट बिना विधिवत विभाजन के विवादित भूमि के विशेष हिस्से पर ताकत के बल पर कब्जा करने, विवादित भूमि पर खड्डे इत्यादि खोदकर, हरे वृक्ष जड़ सहित काटकर पुख्ता निर्माण कार्य कर अकृषि उपयोग कर भूमि को वेस्ट डेमेज कर रहे है। इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश से रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। पक्षकारो के हक हकुको का निर्णय मूल वाद में होना शेष है इससे पूर्व वाद बाहुल्यता रोकने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2016 (2) रेव पेज 1002 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी का कथन रहा है कि अपीलांट बिना विधिवत विभाजन के विवादित भूमि के विशेष हिस्से पर ताकत के बल पर कब्जा करने, विवादित भूमि पर खड्डे इत्यादि खोदकर, हरे वृक्ष जड़ सहित काटकर पुख्ता निर्माण कार्य कर अकृषि उपयोग कर भूमि को वेस्ट डेमेज कर रहे है। इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विचाराधीन आदेश से रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। पक्षकारो के हक हकुको का निर्णय मूल वाद में होना शेष है इससे पूर्व वाद बाहुल्यता रोकने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नही है।

रिसीवर के सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल ने आर.एल.डब्ल्यू 2016 (2) रेव पेज 1002 में अभिनिर्धारित किया गया है कि" Rajasthan Tenancy Act. 1955, Sec. 212- Appointment of receiver - Trial Court rejected the application - Appellate Court allowed the appeal and appointed Tehsildar as receiver - Land of joint Tenancy plaintiff having 1/2

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

share - Position regarding possession not clear - Land in medio - Held - Appointment of receiver is justified when the land is in medio.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर